GENDER, SCHOOL AND SOCIETY

Prep By :-

Mr. J. Kr. Shrivastava.

Q. 23. लिंग विभेद के कारणों का वर्णन करें ।

(Dicuss the causes of Gender Difference.)

Ans. **लिंग-विभेद के कारण**

(Causes of Gender Difference)

जेण्डर विभेद के निम्नलिखित कारण हैं–

1. रुढ़िगत मान्यताएँ एवं परम्पराएँ —हमारी प्राचीन मान्यताएँ है कि पुत्र के बिना माता-पिता की अन्तेष्टि कार्य सभव नहीं है । पुत्र के द्वारा मुखाग्नि से ही माता-पिता को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष मिलता है । स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है । इस कारण, परिवार में आपेक्षिक रूप से पुरुष को अधिक महत्त्व दिया गया है । माता-पिता यह भी सोचते हैं कि बेटा ही बुढ़ापे में उनके जीवन का निर्वाह करेगा जबकि बेटी तो दान-दहेज के साथ अपने घर चली जायेगी । खानदान या अपने परिवार की रीतियों का निर्वाहक बेटों को ही माना जाता है, बेटियों को नहीं । इस रुढ़िगत मान्यता के कारण ही लोग बेटे के लिए लालायित रहते हैं और बेटियों की तो भ्रूण हत्या तक कर देते हैं । हमारे वेदों में ऐसी मान्यता है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन रहना चाहिए । इस प्रकार स्त्रियों का अस्तित्व मान्यताओं परम्पराओं और सुरक्षा की बलि चढ़ा दिया जाता है । सबसे ज्यादा आश्चर्य की ही बात यह है कि कुछ स्त्री के रूप में सास अपनी बहू को दहेज के लिए तरह-तरह से प्रताड़ित करती है तथा अपने ही बालक-बालिकाओं में अन्तर करती है ।

2. सामाजिक कुरीतियाँ—आज Zero-tolerancce एवं 4G-5G के इस फेज में भी हमारा भारतीय समाज विभिन्न तरह की सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों से भरा पड़ा है । दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, विधवा विवाह निषेध छेड़खानी एवं व्यभिचार इत्यादि ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिससे महिलाएँ का शोषण होता है और पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या तो लगातार घटती जा रही है । दहेज प्रथा के अन्तगर्त कन्या के जन्म होते ही माता-पिता उसके विवाह तथा दहेज के लिए तरह-तरह के भ्रष्टाचार एवं अवैध तरीके में संलिप्त रहते हैं जिससे धन इकट्ठा किया जा सके और कन्या के विवाह के लिए दहेज जुटाये जाये । इस कारण भी लोग कन्या संतान नहीं चाहते हैं । अल्ट्रासाउण्ड जैसी तकनीक से लोग लिंग-निर्धारण कर बालक या बालिका का पता लेते हैं और बालिका होने पर कन्या भ्रूण जैसी जघन्य हत्या तक करते हैं जिससे लिंगानुपात की समस्या विकराल रूप धारण की हुई है ।

3. अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव—अभी भी हमारे देश में अशिक्षितों की बड़ी फौज है । साक्षर होने एवं शिक्षित होने में काफी विभेद है । लोग यह नहीं स्वीकार कर पाये हैं कि पुरुष और स्त्री की कार्यक्षमता एक समान है । दोनों एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रगति की नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं । जागरूकता के अभाव में ऐसी धारणा है कि स्त्रियाँ का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी के भीतर तक सीमित है । ऐसी मान्यता है कि लड़कियों के शिक्षा और

CS canned with CamScanner

पालन-पोषण में ज्यादा व्यय नहीं किया जाना चाहिए और लड़कियाँ बौद्धिक रूप से लड़कों से निम्नतर होती हैं। सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है। जेण्डर पक्षपात के कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है। पहले लोग अपने बेटों को उत्तम-से-उत्तम शिक्षा के जुगाड़ में लगते हैं और इसके बाद बालिकाओं के शिक्षा के उन्नयन एवं उत्तम शिक्षा के बारे में सोचते हैं। साथ ही व्यावहारिक रूप में लड़कों को ही पैतृक सम्पदा का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लड़कियों को नहीं। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाजों में चले आ रहे परम्पराओं और अन्धविश्वासों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जरूरत है कि उनकी सोच एवं जागरूकता का स्तर विस्तृत हो तभी जेण्डर विभेद से बच सकते हैं। शिक्षित और जागरूक व्यक्ति ही यह समझ सकते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव है। शिक्षित एवं जागरूक लोग यह समझते हैं महिलाएँ किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है।

4. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली—भारतीय शिक्षा प्रणाली अभी भी ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली का अनुकरण कर रही है जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में स्वाधीनता के लगभग साठ दशकों के बाद भी अपूर्ण सिद्ध हो रही है। बालिका शिक्षा भी उनके उद्देश्यों की पूर्ति में कारगर नहीं है शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं, जैसे-अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य गतिहीन तथा दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया, बालिकाओं के अभिरुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम न होना, महिला शिक्षिकाओं तथा महिला शिक्षा अधिकारियों की कम संख्या होना, पृथक बालिका विद्यालयों का अभाव बालिकाओं के व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था का न होना, शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध न होना इत्यादि। साथ ही, बालिकाओं में क्रमशः प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की ओर जाने पर क्रमशः विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत ज्यादा है। संकीर्ण विचारधारा के लोग बालिकाओं को सहशिक्षा (Co-Education) प्रदान करवाना पसंद नहीं करते हैं। इस कारण भी हमारे समाज में जेण्डर पक्षपात और जेण्डर विभेद दिखता है और उपयुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही जेण्डर विभेद एवं जेण्डर पक्षपात को तिरोहित किया जा सकता है।

5. मनोवैज्ञानिक कारण—जन्म के प्रारम्भ से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती हैं कि पुरुष, स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं तथा महिलाओं को पुरुषों की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। स्त्रियों के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि उनका पुरुष से ही पहचान और सुरक्षा है। पुरुष के बिना अस्तित्व नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि महिलाएँ स्वयं स्त्री होकर स्त्री के जन्म और उनके सर्वांगीण विकास का विरोध करती हैं। उपर्युक्त मनौवैज्ञानिक कारणों की वजह से महिलाएँ जीवन के प्रारम्भ से ही पुरुषों का अनुसरण एवं दासता स्वीकार करती जाती हैं और उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता।

6. छेड़खानी एवं व्याभिचार—आये दिन समाचार पत्र लड़कियों के साथ छेड़खानी व्याभिचार दुष्टकृत्य अपहरण हत्या इत्यादि से भरे-पड़े रहते हैं। इस कारण अजीज होकर माता-पिता यही कामना करते हैं कि उन्हें बेटी न होती तो चैन की नींद सोते। बालिकाओं भी व्यवहार में बालिकाओं को उपयुक्त नहीं समझा जाता है क्योंकि वे देर रात तक या घर के बाहर

CS Scanned with CamScanner

जेण्डर विभेदों की समाप्ति के उपायों — जेण्डर विभेदीकरण के कारण हमारे देश मे स्त्री-पुरुष अनुपात की खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में यह स्थिति और भी खतरनाक स्थिति में पहुँच गई है। बालक और बालिकाओं में इस तरह के विभेदों से देश की पूर्णरूपेण प्रगति संभव नहीं है। कई तरह के सरकारी और स्वयंसेवी संस्थानों के प्रयास से जेण्डर विभेदीकरण को समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जो जेण्डर पक्षपात को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विभिन्न राज्य सरकारें भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। प्रसव पूर्व लिंग निषेध (विनिमय एवं दुरुपयोग) अधिनियम (पी० एन० डी० टी० एक्ट) जो कि कानूनी प्रावधान है इसे सख्ती से लागू करने की जरूरतें है। भारतीय समाज में जेण्डर विभेदीकरण यहाँ की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का ही एक परिणाम है जिसका समाधान भी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के अनुसार ही खोजना होगा।

Scanned with CamScanner

THANK YOU...